न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 01/2019
निर्णय दिनांक– 01.02.2019

उनवान

प्रेमदेवी पत्नी गेन्दीलाल जाति मीना निवासी रायपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
–प्रार्थीयां

वनाम

1. श्रीमति पांना पत्नी रामस्वरूप जाति भील निवासी रायपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितः– श्री एम0एल0खान वकील प्रार्थीयां
श्री सुरेन्द्र धाकड वकील प्रतिपक्षी न0 1

प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीयां के स्वामित्व व आधिपत्य की खरीदशुदा आराजी खाता संख्या 142 ख0न0 1052/24 रकबा 0.25, ख0न0 1055/1015 रकबा 0.16, ख0न0 1058/1017 रकबा 0.22, ख0न0 1061/1019 रकबा 0.26 कुल किता 4 कुल रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम रायपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया ने जरिये इकरारनामा बैचान दिनांक 28.12.2018 को प्रतिपक्षीया न0 1 से 10,00,000/– नगद प्राप्त कर उक्त आराजी विक्रय कर दी थी ओर मौके पर जाकर कब्जा मालिकाना संभला दिया था तथ सरकारी कार्यालय की छुट्टी होने के कारण कार्यालय खुलते ही रजिस्ट्री करवाने का इकरार किया था। दिनांक 31.12.2018 को प्रतिपक्षीया गांव छोडकर अन्य व्यक्ति के साथ अपने तीन बच्चों को छोडकर चली गई और प्रार्थीया के नाम रजिस्ट्री नही करवाने का फोन किया तथा गांव के अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री करवाने को कहा। प्रतिपक्षीया के तीनों संतानों के सामने प्रतिपक्षीया ने राशि प्राप्त कर एग्रीमन्ट किया था अब बेईमानी आ जाने के कारण वह उक्त आराजी को अन्य व्यक्ति के नाम रहन बैचान करने पर आमादा है, जिसका उसको कोई वैधानिक अधिकार नही है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे ख0न0 1052/24 रकबा 0.25, ख0न0 1055/1015 रकबा 0.16, ख0न0 1058/1017 रकबा 0.22, ख0न0 1061/1019 रकबा 0.26 कुल किता 4 कुल रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम रायपुरा तहसील उनियारा प्रार्थीयां के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना ही प्रार्थीया को जबरन बेदखल करने का प्रयास करे। ताफैसला वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीयां न0 1 के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत व विधि विरूद्व ढंग से इकरारनामा बेचान दिनांक 28.12.2018 के आधार पर पेश किया गया है, जो इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है। इस प्रार्थना पत्र के सुनवाई का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीया का कभी कब्जा काश्त नही रहा, क्योंकि प्रतिपक्षीया ने वादग्रस्त आराजीया तमे से आधी जमीन प्रधान पुत्र बृजमोहन मीना निवासी रायपुरा को रहन रखी है तथा शेष जमीन को प्रतिपक्षीया स्व्यं काश्त करती है। कब्जे के अभाव मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी दिनांक 28.12.2018 को इकरारनामा बेचान प्रार्थीया के पुत्र जोधराज, पप्पूलाल, आत्माराम पुत्रान गेन्दीलाल मीना निवासी रायपुरा ने आपसी षडयंत्र रचकर प्रतिपक्षीयां व उसके पुत्रों को बिना विक्रय धन दिये छल कपट कर व बहला फुसलाकर एवं गांव मे जाने के बाद विक्रय धन देने का बहाना बनाकर प्रतिपक्षीया के अनपढ होने का फायदा उठाकर उक्त व्यक्तियों ने नोटेरी पब्लिक से मिलीभगत कर ह फर्जी बेचाननामा तैयार करवाया है। प्रार्थीया के उक्त वर्णित पुत्रों ने प्रतिपक्षीया को 300/– नगद एवं 25 किलों गेहु गांव मे जाने के बाद दिये तथा विक्रय की सम्पूर्ण रकम रजिस्ट्री करवाते समय देने की बात कही। प्रार्थीया व उसके पुत्रों ने स्वयं एवं नोटेरी अधिवक्ता ने इकरारनामा विक्रय पत्र दिनांक 28.12.2018 मे क्या लिखा पढी करवाई, उसको पढकर नही सुनाया। प्रार्थीया एवं उसके पुत्रों द्वारा विक्रय की राशि प्रतिपक्षीया को नही देने के कारण इकरारनामा बेचान स्वतः ही खारिज हो गया है। प्रतिपक्षीया दिनांक 31.12.2018 से आज तक अपने पुत्रों के साथ अपने गांव मे निवास कर रही है। प्रार्थीया व उसके पुत्रों ने प्रतिपक्षीया व उसके पुत्रों को विक्रय की राशि अदा नही की है। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान 100/– से उपर की कोई भी सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो उसका पंजीयन आवश्यक है। इस इकरार विक्रय के आधार पर किया गा विक्रय रजिसट्रीकृत दस्तावेज नही होने से कानून मे इसकी कोई मान्यता नही है। वादग्रस्त आराज़ीयात वर्तमान मे प्रतिपक्षीया खातेदार काश्तकार तथा मालिक व स्वामी है। प्रार्थीया व उसके पुत्रों द्वारा छल–कपट व बेईमानी करने की नियत से बिना विक्रय धन दिये प्रतिपक्षीया से बेचाननामे पर अंगूठा निशानी करवाई है, उसके सम्बन्ध मे प्रतिपक्षीया प्रार्थीया व उसके पुत्रों के विरूद्व थाने पर पुलिस अधीक्षक टोंक के यहां मुकदमा दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र चल रहा है, जिसकी जांच जारी है। उक्त इकरारनामा बेचान पर गवाह के रूप मे प्रार्थीया के पुत्र रामकिशन के हस्ताक्ष्ज़र भी जानबूझकर करवाये तथ गवाह धनराज मीना भी प्रार्थीया का रिश्तेदार है। प्रार्थीया का उक्त केस प्राईमाफेसाई तोर पर ही साबित नही

Scanned by CamScanner

है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति प्रतिपक्षीया को ही अधिक होगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 वाके ग्राम रायपुरा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 1052/24 रकबा 0.25, ख0न0 1055/1015 रकबा 0.16, ख0न0 1058/1017 रकबा 0.22, ख0न0 1061/1019 रकबा 0.26 कुल किता 4 कुल रकबा 0.89 है0 श्रीमती पाना पत्नि रामस्वरूप जाति भील सा0 देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा उनियारा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा इकरारनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात का प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रतिपक्षीया ने बेचान इकरारनामा के अनुसार उसे राशि नही देना जाहिर किया है, जो मूल वाद के जांच का विषय है। प्रतिपक्षीया वादग्रस्त आराजीयात की रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रतिपक्षीया न0 1 के पक्ष मे है। अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया की अपेक्षा प्रतिपक्षीगण को ही अधिक संभावित है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner